

PMLA तथा सर्वोच्च न्यायालय

प्रलिस के लयः

वदशी मुद्रा, वदशी मुद्रा प्रबंधन अधनयलम, 1999, FEMA, भगोड़ा आरथकल अपराधी अधनयलम, 2018 FEOA, वदशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतवधधलतल की रोकथाम अधनयलम, 1974 COFEPOSA, ED, सर्वोच्च न्यायालय

मेन्स के लयः

मनी लॉन्डरगल का मुद्रा, काले धन का महत्त्व, ईडी की शक्तलतल न्यायकल समीक्षण

चर्चा में कतल?

हाल ही में एक याचकल कल सुनवाई में, भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [धन शोधन नवलरण अधनयलम, 2002](#) की संवैधानकल वैधता को बरकरार रखा ।

- न्यायालय ने रेखांकतल कतल कल आरोपी/अपराधी की बेगुनाही के सधधंत को एक मानव अधकार के रूप में माना जाता है, लेकनल इस अवधारणा को संसद/वधधायकल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा बाधतल कतल जा सकता है ।

सर्वोच्च न्यायालय का नरलणयः

- **प्रवर्तन मामला सूचना रलरलर (ECIR):**
 - प्रवर्तन मामले की सूचना रलरलर (ECIR) की तुलना प्राथमकल से नहीं की जा सकती ।
 - प्रत्येक मामले में संबंधतल वतकतल को ECIR की आपूरतल अनवलरण नहीं है और "यह पर्याप्त है यदल प्रवर्तन नदशललय (ED), गरलरलर के समय, ऐसी गरलरलर के आधार का खुलासा करता है" ।
 - ECIR ईडी का एक आंतरकल दस्तावेज़ है और यह तथ्य कल अनुसूचतल अपराध के संबंध में प्राथमकल दर्ज नहीं की गई है, ईडी अधकारतल के जाँच/परीक्षण शुरू करने के मामले में दखल नहीं करता है ।
- **PMLA अधनयलम की धारा 3:**
 - PMLA अधनयलम 2002 की धारा 3 की वतपक पहुँच है और यह दर्शाता है कल मनी लॉन्डरगल का अपराध आय से जुड़ी प्रकरतल या गतवधधल के संबंध में एक स्वतंत्र अपराध है जो एक अनुसूचतल अपराध से संबंधतल या उसके संबंध में आपराधकल गतवधधल के परणलमस्वरूप प्राप्त कतल गया था ।
 - नरलणय ने यह भी स्पष्ट कतल कल:
 - धारा 3 के तहत अपराध "एक अनुसूचतल अपराध से संबंधतल आपराधकल गतवधधल के परणलमस्वरूप संपत्तल के अवैध लाभ पर नरलर है" ।
 - वर्ष 2002 के अधनयलम के तहत प्राधकरण कलसी भी वतकतल पर काल्पनकल आधार पर या इस धारणा के आधार पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं कल अपराध हुआ है लेकनल यह पुलसल के अधकार कषेत्तर में पंजीकृत नहीं है और सक्षम मंच के समक्ष आपराधकल शकलयत जाँच लंबतल है ।
- **प्रवर्तन नदशललय (ED):**
 - पीठ ने अधनयलम की धारा 5 (अपराध की कलसी भी आय की अस्थायी कुरकी का आदेश) के तहत ED की शक्तल को बरकरार रखा ।
 - न्यायालय ने कहा कल धारा 5 वतकतल के हतल को सुरकषतल करने के लतल एक संतुलन वतवस्था प्रदान करती है और यह भी सुनशलचतल करती है कल अपराध अधनयलम, 2002 द्वारा प्रदान कल गए तरीके से नलपटने के लतल उपलब्ध रहे ।
 - इसने इस तर्क को खारज कर दतल कल ED अधकारल पुलसल अधकारल हं और इसलतल अधनयलम की धारा 50 के तहत उनके द्वारा दर्ज बयान [संवधलन के अनुच्छेद 20 \(3\)](#) से प्रभावतल होगा, जसलमें कहा गया है कल अपराध का आरोपी कोई भी वतकतल अपने खलललफ गवाह बनने के लतल मज़बूर नहीं कतल जाएगा ।

धन शोधन नवलरण अधनयलम, 2002

- यह अपराधिक कानून है जो धन शोधन/मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए बनाया गया है।
- यह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिये भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढाँचे का मूल है।
- इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (RBI सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।
- **PMLA (संशोधन) अधिनियम, 2012:**
 - इसमें 'रिपोर्टिंग इकाई' की अवधारणा शामिल है जिसमें बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ आदि शामिल होंगे।
 - PMLA, 2002 में 5 लाख रुपए तक का **जुर्माना लगाने का प्रावधान था, लेकिन संशोधन अधिनियम में इस ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है।**
 - इसमें गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की अस्थायी कुरकी और ज़ब्ती का प्रावधान किया गया है।

प्रवर्तन नदिशालय:

■ संगठनात्मक इतिहास:

- प्रवर्तन नदिशालय या ED एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो आर्थिक अपराधों की जाँच और **वदिशी मुद्रा** कानूनों के उल्लंघन के लिये अनविर्य है।
- इस नदिशालय की उत्पत्ति 1 मई, 1956 को हुई, जब **वदिशी मुद्रा वनियमन अधिनियम, 1947** (फेरा '47) के तहत वनियम नयित्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिये आर्थिक मामलों के विभाग में एक '**प्रवर्तन इकाई**' का गठन किया गया।
- समय बीतने के साथ, FERA'1947 कानून को FERA'1973 कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 04 साल की अवधि (1973-1977) के लिये नदिशालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में रहा। पुनः आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ, FERA'1973 (जो एक नयिमक कानून था) नरिसत कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जून, 2000 से एक नया कानून-वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) लागू किया गया।
- हाल ही में वदिशालय में शरण लेने वाले आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ सरकार **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA)** पारित किया है और ED को इसे लागू करने का जमिमा सौंपा गया है।

■ कार्य:

- **मनी लॉन्ड्रिंग नरिोधक अधिनियम, 2002 (PMLA):**
 - इसके तहत धन शोधन के अपराधों की जाँच करना, संपत्ति की कुरकी और जब्ती की कार्रवाई करना और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाना है।
- **वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA):**
 - इसके तहत नदिशालय नामित अधिकारियों द्वारा फेमा के उल्लंघन के दोषियों की जाँच की जाती है और इसमें शामिल राशिका तीन गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- **भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA):**
 - इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों को दंडित करना है जो भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने के उपाय खोजते हैं।
- **COFEPOSA के तहत प्रायोजक एजेंसी:**
 - FEMA के उल्लंघन के संबंध में वदिशी मुद्रा और संरक्षण गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत नविरक नरिोध के प्रायोजक मामले देखना।

वगित वर्ष के प्रश्न(PYQs)

प्रारंभिक परीक्षा:

भारत की वदिशी मुद्रा आरक्षति नधि में नमिनलखिति में से कौन-सा एक मदसमूह सम्मलिति है? (2013)

- वदिशी मुद्रा परसिंपत्ति, वशिष आहरण अधिकार (SDR) तथा वदिशों से ऋण
- वदिशी मुद्रा परसिंपत्ति, भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा धारति स्वर्ण तथा वशिष आहरण अधिकार (SDR)
- वदिशी मुद्रा परसिंपत्ति, वशिष बैंक से ऋण तथा वशिष आहरण अधिकार (SDR)
- वदिशी मुद्रा परसिंपत्ति, भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा धारति स्वर्ण तथा वशिष बैंक से ऋण

उत्तर:B

व्याख्या:

- वदिशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा वदिशी मुद्राओं में आरक्षति परसिंपत्तियाँ हैं।
- भारतीय रज़िर्व बैंक के अनुसार, भारत के वदिशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं:
- वदिशी मुद्रा परसिंपत्ति
- स्वर्ण भंडार

- विशेष आहरण अधिकार
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में रज़िर्व ट्रेंच की स्थिति

अतः विकल्प B सही है।

प्रश्न. चर्चा कीजिये कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण धन शोधन में कैसे योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर धन शोधन की समस्या से निपटने के लिये वसित्त उपाय सुझाइए। (2021, मुख्य परीक्षा)

प्रश्न. दुनिया के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक राज्यों के साथ भारत की नकिटता ने उसकी आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियाँ जैसे- बंदूक रखना, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिये। इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये? (2018, मुख्य परीक्षा)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pmla-supreme-court>

